CEM
G-408
10/1/14

(81)

10/1/14

10/1/14

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 09 JAN 2014

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त, राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13" के दौरान दिनांक 31.1.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं छूटों के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसरण में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" हेतु विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा और इसके अनुक्रम में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विविध आदेशों के तहत अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं/छूटें दी गयी हैं तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2.4.2013 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012-13 की follow-up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) के साथ दिनांक 31.3.2013 से बढ़ाकर दिनांक 30.6.2013 की गयी, तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेशों द्वारा उक्त अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 निर्धारित कर उक्त शिथिलताएं/छूटें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू माने जाने बाबत् आदेश प्रसारित किये गये। तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.9.2013 द्वारा दिनांक 30.9.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार "प्रशासन शहरों के संग अभियान" की अवधि दिनांक 31.01.2014 तक बढ़ाई जाती है। दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के दौरान विविध आदेशों के द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं, छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगा।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012-13 के दौरान दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो, तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डी0बी0गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 09 JAN 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर (समस्त)।
5. निजी सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका ....।
11. संयुक्त शासन सचिव/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2014/ 1605 दिनांकः– 13/1/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम /द्वितीय/ निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय,/पी.एण्ड.एम/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त..............राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड.............. राजस्थान आवासन मण्डल................।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

N.S.Negi pc501 F desktop newly\Negi letter-3 01-01-14.docx